फर्द अहकाम

भंवरलाल बनाम सीतारामवगै.

…म न्यायालय ACM-II

…ा संख्या दावा - 34/2007

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	31/05/19	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। बमुताबिक फैसले उप० वादीगण को वादग्रस्त भूमी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी नं. 22 को आदेश दिया जाता है की वे वर्तमान राजस्व भू-अभिलेखों अंकित समस्त खसरा नंबर 499 से 509 में से पूर्व में प्रतिवादी नं. 21 द्वारा बेचान की जा चुकी भूमी को छोड़कर शेष भूमी की खातेदारी वादीगण के नाम बतौर खातेदार समस्त राजस्व भू-अभिलेखों में अंकित करे। प्रतिवादी नं. 2 ता. 19 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है की वे भविष्य में वादीगण के कब्जे काश्त में कोई मदाखलत ना करे। तदनुसार पक्षों की डिक्री भी हो। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [illegible] 31/05/19 को निर्णय ओपन कोर्ट में लिखाया जाकर सुनाया गया। सहायक कलक्टर एवम कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर द्वितीय	
	10/6/19	वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 CPC पेश की जाने पर पत्रावली फैसल शुदा बस्ता रिकॉर्ड (मंगवाया) से तलब कर ली गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र में अंकित है कि न्यायालय द्वारा सहायक कलक्टर एवम कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर द्वितीय	

Scanned by CamScanner

भेरूलाल बनाम सीताराम

न्यायालय ACM-II

संख्या दावा -34/2008

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 3/5/19 के पृष्ठ संख्या 4 की लाईन सं०-16 मे तथा पृष्ठ मे एवं लाईन सं०-29 मे तथा पृष्ठ संख्या 5 की लाईन संख्या 3 व 5 तथा पृष्ठ संख्या 7 की लाईन संख्या 21 मे निर्णय मे पक्षकार प्रतिवादी संख्या 20 के ठाकुर श्री गोपाल जी जो कि मूलवाद मे पक्षकार प्रतिवादी संख्या 14 थे, को टाईपिंग की गलती से प्रतिवादी संख्या 14 ही अंकित कर दिया जबकि निर्णय मे वह प्रतिवादी सं०-20 अंकित है। वास्तविकता मे प्रतिवादी संख्या 14 व 20 एक ही व्यक्ति है। एवं निर्णय मे वादिया संख्या 4/1 श्रीमती केसर देवी धर्मपत्नी श्री हरनाथ को पक्षकार अंकित किया गया है जबकि दौरान दावा उक्त वादिया का देहान्त हो जाने के कारण तथा उनके उत्तराधिकारी पूर्व से पक्षकार होने के कारण उनका नाम दिनांक 26/2/19 को हटाया किया जाकर उनके नाम के आगे मृतक दौरान वाद शब्द अंकित करने का आदेश दिया जा चुका है लेकिन महवन से एवं टाईपिंग त्रुटि से उक्त इबारत अंकित होने से रह गई है। अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निर्णय दिनांक 3/5/19 मे उपरोक्तानुसार संशोधन किया जावे। कहम प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी

सहायक कलेक्टर एवम् कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर द्वितीय

फर्द अहकाम

अंबरलाल बनाम सीताराम

ालय ACM-II

ा दावा -34/2008

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष
	सुनी जाकर पत्रावली का मय निर्णय व डिक्री अवलोकन किया गया, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 CPC स्वीकार किया जाकर जहाँ जहाँ प्रतिवादी संख्या 14 अंकित किया गया है उसे प्रतिवादी संख्या -20 तथा वादिया संख्या 4/1 के नाम के आगे मृतक-ए-होराने का अंकित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31/5/19 में उक्तानुसार नोट किया जावे। निर्णय आप अंकित किया जावे। निर्णय आज दिनांक 10/6/19 को लिखाया जाकर सुनाया गया। सहायक कलक्टर एवम् कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर द्वितीय	

Scanned by CamScanner